न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 31/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

नाथूलाल पुत्र स्व. सत्नारायण निवासी 64—पटेल नगर कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 04.01.2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर जिला जयपुर को दिनांक 19.09.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 06.11.2017 को इस न्यायालय में ग्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम जयपुर के पत्र कमांक 13326 दिनांक 01.12.2017 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रा.पत्र के अन्तर्गत मुझे सूचना प्राप्त हो गई है।

पत्रावली व राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) से प्राप्त पत्र कमांक 13326 दिनांक 01.12.17 का अवलोकन करने पर प्रार्थी को सूचित कर नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर लेवे की सूचना से अवगत कराते हुये सूचित किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना विधिवत तरीके से उपलब्ध कराये जाने से अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर—प्रथम,जयपुर

Scanned by CamScanner